

119



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 14/प्र०३८० मध्य/जोन-१/प्रस्ता०/2014-15 दिनांक 18/10/2014

भवनमति-पत्र

यह अनुमति उत्तर नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 & 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ धर न समझना आहिये कि उस भूमि के स्थान्य में जिस पर प्रस्तावित नर्सिंग होम मानचित्र स्थीरूप किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी रथानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा पर्म के मालिकाना अधिकारी पर किसी ला कोई असर पहुँचा। अर्थात् यह उन्मति किसी के गिल्डियरा या रघामित्य के अधिकारी के पिल्ज्ह कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती सविता अग्रवाल पत्नी डा० दीपक अग्रवाल एवं श्री सद्गम अग्रवाल पुत्र डा० दीपक अग्रवाल द्वारा नजूल शूखण्ड रांच्या-५ लाउदर रोड, तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित नर्सिंग होम मानचित्र की स्थीरूप/निर्गमन उपाय्या स्थान्य के अनुमोदनादेश दिनांक 17.10.2014 के द्वारा निम्नांकित प्रतीबन्धों के अधीन प्रदान ही जाती है:-

- उत्तर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रादिवानो के अनुरूप पूर्णता प्रगाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/उधिभोग किया जावेगा, शब्द निर्मण एवं विकास उपविलि 2008 मे उपविलि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 ने निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रगाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्तोत्रात् अनन्तिर्ग (Provisional) स्थीरूप के रूप मे होगी। निर्माण दूर्ग होने के उपरान्त, जारी अवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात् निर्माता किये जाने वाले 'पूर्णता प्रगाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वार्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
- स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्थीरूप मानचित्र सम्बन्धी प्रिवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमे आर्किटेक्ट/इंजीनियर के कर्ग ला नग भी अंकित हो।
- स्थल पर सोलर वाटर हैंटिंग रांट्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जायेगी।
- स्थल पर रेन्वाटर हैंटिंग प्रणाली मालक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से गणान्तरी प्रगाण-पत्र प्रत्यक्षत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रगाण-पत्र निर्गमन किया जायेगा।
- स्थल पर 01 अद्द वृक्ष जगाने होंगे तथा वृक्षों को हसा-मरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
- मोडेकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से बायोमेडिकल वेरट मैनेजमेन्ट एवं हैण्डलिंग रूल्स 1998 शाखा अन्य प्रशासी नियमों के अनुसार सुनिश्चित किला जाग तथा राग्य-राग्य पर नवीनीकरण भी करावा जाय।
- नरिंग होम मे संकाम्भक रोग के इलाज निश्चिह्न होगा, इस हेतु दिये गये शयथ पत्र का अक्षरा: अनुपालन बाध्यकारी होगा।
- नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र रां०-८९१/SCDE/14 दिनांक 17.10.2014 मे अंकित प्रतीबन्धो का अक्षरा: अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
- मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-2014/इला०/410/प्र००१००/१९८ दिनांक 31.8.2014 मे अंकित प्रतीबन्धो का अक्षरा: अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
- झोत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड डॉसी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या- ००७१६/B.M.-१३ /अनापत्ति प्रगाण-पत्र/2014 दिनांक 15.10.2014 (छायाप्रति संलग्न) मे अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा तथा निरन्तर नवीनीकरण करावा जाना आवश्यक होगा।

ज्ञाता- प्राप्तिकर्ता-

८०

Continued

१४/१०/१४

९३७६९८८९०

12. माननीय न्यायालय में कोई धाव होने अथवा उत्तरान होने की रिधिति गैं प्रदल्ल स्थीलूरि मार्गीय न्यायालय के निर्णय के अधीन हंगी। यह स्थीलूरि शू-रसायिल का अधिकार ग्राहन नहीं करती है। शू-रसायिल सम्बन्धी कोई भी तेवाव सज्जन न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा डी निस्तरित लिखा जा सकता है।
13. यदि आवेदिला द्वारा कोई गहरपूर्ण सूचना छिपायी गई है अथवा गलत सूचना दी गई है तो उद्योग नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानवान्न नियस्त लगने योग्य होगा।
14. नकाल निर्माण से बढ़ि नाली के सड़क की पहाड़ी शब्दया सड़क द्या नाली ले किरी भाग (जो गवान के आश भाग; पूर्व भाग अथवा उसले आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्थार्थी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा इदि विकास ग्रामेकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और ऐध कठा तो पहुँचे ही उसे क्षपने खर्चों से नश्वात करकर पूर्ववत् उत्पादा गिरदर्द विकास प्राधिकरण के सभापति द्वारा जाय, ने कर देगा।
15. यह स्पीकर पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
16. यह निर्माण के समय इसलग भी अन्न रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंडियन इलेक्ट्रिकिटी लॉन 1960) नियम 82 ला उल्लंघन कियो भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मानले जाये गये तो वह ऐसे नियम को रोक अथवा हटाया सकता है।
17. आपेक्षक को नियमनुसार विकास प्राधिकरण की मकान की नीँह तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना गणना आबाद होने से पहुँच देना होना तथा उस आपमीला जा नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्भित हुआ है।
18. यदि निर्माण में स्वरूप एवं न का उल्लंघन होता यादा रक्त हो निर्माणकर्ता को दी गई अधिकृत रक्त समझी जायेगी और किया गया निगांग-अनधिकृत धोवित रक्त उद्धत अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यपाली आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(पुष्टालेश शर्मा)
प्राप्ति अधिकारी(प्राप्ति)-१

